

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DESPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

भारतीय रिज़र्व बेंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोग/A wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India)

www.	.dıcac	.org.in

संदर्भ: डीआईसीजीसी/आरएमसी/11.02.997/1677-1691/2019-20 सहकारी समितियों के रजिस्टार,

23 अक्तूबर 2019

सभी राज्य

महोदया /महोदय

डीआईसीजीसी को त्रैमासिक विवरण - आईएएसएस में ऑनलाइन प्रस्तुत करना

परिसमापकों द्वारा निगम को आवधिक विवरण प्रस्तुत किए जाने के संबंध में दिनांक 4 मई 2016 का हमारा पत्र संख्या डीआईसीजीसी/सीएसडी/624/05.02.903/2015-16 देखें।

- 2. जैसा कि आप जानते हैं निगम ने एकीकृत लेखा प्रणाली समाधान (आईएएसएस) पोर्टल प्रस्तुत किया है जिसमें परिसमापकों द्वारा त्रैमासिक विवरणों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए दिशा-निर्देश पहले ही सभी परिसमापकों को सूचित किए जा चुके हैं। परिसमापकों को आईएएसएस में लॉग इन करने में सक्षम बनाने के लिए, आईएएसएस प्रणाली में उपयोगकर्ता-आईडी बनाई गई हैं और परिसमापकों को भी सूचित किया गया है। यदि परिसमापकों की उपयोगकर्ता आईडी नहीं बनाई गई है, तो उनसे अनुरोध है की dicgc@rbi.org.in पर हमसे संपर्क करें।
- 3. अतः आईएएसएस पोर्टल की शुरुआत के साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि तिमाही विवरणों की भौतिक प्रस्तुति बंद कर दी जाए तथा सितंबर 2019 को समाप्त तिमाही से आईएएसएस पोर्टल (लिंक: https://portal.dicgc.org.in/iass/Account/frmLiquidatorLogin.aspx) के माध्यम से ऑनलाइन डीआईसीजीसी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि मार्च/जून 2019 को समाप्त पिछली तिमाहियों के लिए विवरण डीआईसीजीसी को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो इसे बिना और देरी के भौतिक रूप से भेजें।
- 4. इसके अलावा, जैसा कि उपरोक्त परिपत्र में उल्लेख किया गया है, त्रैमासिक विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत करने से पहले, यदि कोई समवर्ती लेखा परीक्षा नहीं है तो आपके कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए ताकि प्रस्तुत किए गए डेटा की सटीकता और शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।
- 5. आपसे अनुरोध है कि सभी परिसमापकों को आईएएसएस मॉड्यूल में त्रैमासिक विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत करना आरंभ करने के लिए सूचित करें। परिसमापकों को यह भी सूचित करें कि वे उनके पास पड़ी अवितरित राशि निर्धारित समय सीमा के भीतर डीआईसीजीसी को वापस करें और समय-समय पर उनके पास उपलब्ध तरल निधियों से डीआईसीजीसी को पुनर्भुगतान करें।

भवदीय

(डी के नालबंद)

उप महाप्रबंधक



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DESPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

भारतीय रिज़र्व बॅंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोग/A wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India)

_www.dicgc.org.in	
_	

Ref: DICGC/RMC/11.02. / /2019-20

October 23, 2019

Registrar of Co-operative Societies, All States.

Madam / Dear Sir,

Submission of Quarterly Statements to DICGC-Online in IASS

Please refer to our letter no. DICGC/CSD/624/05.02.903/2015-16 dated May 4, 2016 on submission of periodical statement by the liquidators to the Corporation.

- 2. As you are aware the Corporation has introduced Integrated Accounting System Solution (IASS) portal wherein provision has been made for online submission of the quarterly statements by the Liquidators. The guidelines for the same have already been shared with all Liquidators. To enable liquidators to log in to the IASS, User-IDs have been created in IASS system and the liquidators have also been informed. In case the User ID of the liquidators have not been created, you are requested to advise the liquidators to contact us at dicgc@rbi.org.in.
- 3. Hence, with the introduction of the IASS portal, it has been decided to dispense with physical submission of the quarterly statements and the same should be submitted to DICGC online through IASS portal (link: https://portal.dicgc.org.in/iass/Account/frmLiquidatorLogin.aspx) with effect from quarter ended September 2019. If the statements for the previous quarters ended March/June 2019 are not submitted to DICGC, the same should be sent in physical form, without any further delay.
- 4. Further, as advised in the above mentioned circular, before submitting the quarterly statements online, the same may be verified by your office in case there is no Concurrent Audit so as to ensure the accuracy and correctness of data submitted.
- 5. You are requested to advise all the Liquidators to start submitting the quarterly statements online in IASS module. The Liquidators may also be advised to refund the undisbursed amount lying with them to DICGC within the prescribed timeline and to make repayment to DICGC from the liquid funds available with them from time to time.

Yours faithfully,

(D K Nalband) Deputy General Manager